

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 10935/2025

हर्ष मिश्रा

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – संतोष कुमार द्विवेदी, अतुल वर्मा, हरि कृष्ण वर्मा, संदीप सिंह, सतोष कुमार द्विवेदी, सुधांशु वर्मा

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :– शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. यह प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है जो थाना– सुशांत गोल्फ सिटी, जिला– लखनऊ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 829/2025 अंतर्गत धारा 115(2), 351(3), 352, 109(1), 131, 3(5) भारतीय न्याय संहिता और धारा 27/30 आयुध अधिनियम में संलिप्त है।
3. अभियोजन पक्ष के कथनानुसार, प्रारंभ में, वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता ने प्रार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्पश्चात, थाना– सुशांत गोल्फ सिटी, जिला– लखनऊ में 15-20 बाउंसरों और गार्ड के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 831/2025 में धारा 324(4), 115(2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। प्रार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों को भी कथित घटना में चोटें आई हैं, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि तीन अन्य सहअभियुक्तों को अवर न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कोई गंभीर चोटें नहीं पाई गई हैं। प्रार्थी का कोई आपराधिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 20.09.2025 से जेल में बंद है।

5. अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि घायल पुरुषोत्तम पांडेय की इंजरी रिपोर्ट और रेडियोलॉजिस्ट डॉ. ए.के. पांडेय, डॉ. एस.पी.एम. सिविल अस्पताल, लखनऊ द्वारा तैयार की गई एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, पीठ के पीछे के पार्श्व हिस्से में बाईं ओर 10वीं पसली के पास निचले चर्म स्तर में एक बुलेट के आकार का रेडियो अपारदर्शी धात्विक घनत्व देखा गया था, जिसमें घाव था, कुछ वायु केंद्र और आसपास की चर्बी में सूजन थी। हालाँकि कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया। सभी चोटों को प्रकृति में साधारण माना गया है। जहाँ तक निशा वर्मा की इंजरी रिपोर्ट का संबंध है, सभी चोटें प्रकृति में साधारण हैं, जो कठोर और कुंद वस्तुओं से कारित हुई हैं। इसी प्रकार, अनुज चौधरी की इंजरी रिपोर्ट के अनुसार, सभी चोटें कठोर और कुंद वस्तु के कारण कारित हुयी एवं प्रकृति में साधारण हैं।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन वे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक पक्षों का खंडन नहीं कर सके।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने और इस तथ्य के दृष्टिगत कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 24.10.2025 से जेल में है; और यह देखते हुए कि किसी भी घायल को कोई गंभीर चोट कारित नहीं की गई है, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

8. तदनुसार, जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. प्रार्थी- हर्ष मिश्रा को, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 829/ 2025 में संलिप्त है, संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों में उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त(शर्तें) भी आरोपित की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ इस जमानत प्रार्थनापत्र तक ही सीमित हैं और इनका मुकदमे के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

24 मार्च, 2026

शुक्रा